

सम्पादकीय

व्यक्तिगत मालकियत विसर्जन और परिवार

आज की सभ्यता का सबसे बड़ा संकट व्यक्तिगत मालकियत का है। इसने कर्तव्यपालन को तिलांजलि देकर अधिकार अथवा हक के विचार को स्थापित किया है। पूंजीवादी सभ्यता से फले-फूले बाजारवाद ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बीच में कुछ समय के लिए कार्लमार्क्स के विचारों ने दुनिया को पूंजीवाद से मुक्त करने के लिए हलचल पैदा की, परंतु पूंजीवाद की प्रतिक्रिया में उपजा यह विचार कालांतर में वाद में परिवर्तित हो गया। विकसित देशों में व्यक्तिगत मालकियत को बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि समस्त क्षेत्रों में अर्थ का प्रभुत्व है। इसलिए वहां अनेक पैमानों पर धनवानों की संपत्ति का आकलन करके उसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है।

दुनियाभर के सत्ता प्रतिष्ठान, न्यायपालिका और कार्यपालिका आमजन की आधारभूत समस्याओं को हल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इससे पनपने वाले विद्रोह और आतंक ने परिवार से लेकर राष्ट्रों तक को अशांति के गर्त में ढकेल दिया है। महात्मा गांधी ने अपने जीवनकाल में पश्चिमी सभ्यता की समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा था और उन्होंने इसका हल ट्रस्टीशिप अथवा संरक्षकता के सिद्धांत में सुझाया था। इसी विचार को विनोबा ने आगे बढ़ाते हुए मालकियत विसर्जन में रूपांतरित किया। आज भारतीय समाज को मालकियत विसर्जन के

विचार की अत्यधिक आवश्यकता है। बाजार अपने विस्तार के लिए सबसे पहले स्थायी संपत्ति की तलाश करता है। उसकी नजरें हमेशा भूमि-भवन को देखती रहती हैं। अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वह नैतिक-अनैतिक सभी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। बाजार के पास इतनी शक्तियां हैं कि वह पूरी दुनिया को अपनी ऊंगलियों पर मनचाहा नाच नचा रहा है। मालकियत विसर्जन में भोगवादी संस्कृति के खिलाफ सत्याग्रह की कुंजी छिपी है। इस कुंजी से संपत्ति को लेकर व्याप्त मोह के ताले को खोला जा सकता है। इसकी शुरुआत परिवार से होगी तो इस भावना का विस्तार ग्राम, जिले, राज्य, देश और दुनिया तक होगा। भारतीय समाज में भोगवादी संस्कृति का विस्तार होने से वृद्धों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। उनके द्वारा पुरुषार्थ से अर्जित की गई संपत्ति पर परिवार के सदस्य दृष्टि गढ़ाये रहते हैं। इसे लेकर अनेक बार अप्रिय वार्तालाप और उससे आगे जाकर अप्रिय कृत्य के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। वृद्धावस्था में असुरक्षा की भावना तीव्र हो जाती है। इससे उन्हें अपनी संपत्ति का मोह भी बढ़ जाता है। उनके मोह और पारिवारिक सदस्यों के लोभ से कलह पैदा होकर अशांति फैलती है। वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या इसी कलह का परिणाम है। जीवन के उत्तरार्ध में हरिभजन करने के स्थान पर वृद्धों को कोर्ट-कचहरियों की सीढियां चढ़ते-उतरते देखा जा सकता है। देश की अदालतों में लंबित दीवानी



मुकदमों में सर्वाधिक मुकदमे संपत्ति विवाद के हैं। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप और विनोबा के मालिकियत विसर्जन के विचार में इसका हल निहित है। यदि वृद्ध अपने पुरुषार्थ द्वारा अर्जित संपत्ति को व्यक्तिगत ट्रस्ट में परिवर्तित कर दें तो इससे मोह भी छूटेगा और पारिवारिक कलह से भी मुक्ति मिलेगी। ट्रस्ट की मुख्य शर्त यही होगी कि पारिवारिक सदस्य उस संपत्ति का उपयोग तो कर सकते हैं, परंतु उसे बेचना या खरीदना निषिद्ध रहेगा। यदि संपत्ति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तो उसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी उस संपत्ति का उपभोग करने वालों की होगी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में संयुक्त परिवार बचेंगे। सर्वोदय अथवा सत्य, प्रेम, करुणा, निर्भय, निर्वैर, निष्पक्ष विचार में विश्वास करने वाले मनुष्य इस व्यक्तिगत ट्रस्ट का नाम 'सर्वोदय-संपत्ति ट्रस्ट' रख सकते हैं। विश्व में शांति-स्थापना की शुरुआत सत्ता प्रतिष्ठानों से नहीं बल्कि परिवार से होगी।

- डॉ. पुष्पेंद्र दुबे